भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 1464
(जिसका उत्तर मंगलवार, 29 नवंबर, 2016 को दिया गया)

वन क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु सी.एस.आर. निधि

1464. श्री संभाजी छत्रपती:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में वन क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) निधि का 25 प्रतिशत उपयोग किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और
(ख) यदि कंपनी अधिनियम, 2013 में कतिपय संशोधन अपेक्षित हो, तो भी, निधियों की कमी को दूर करने हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर आरंभ की गई विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सी.एस.आर. निधियों को एकत्र करने के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

(क): जी, नहीं।

(ख): कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 का नियम 4(3) में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित कंपनियों को अपनी सीएसआर बाध्यता के तहत परियोजनाओं, कार्यक्रमों या कार्यकलापों को अन्य कंपनियों के साथ मिलकर करने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, सीएसआर निधियों को विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत उपयोग करने की अनुमति है।

*****